

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड  
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून- 248001

फोन न० (0135) - 2713760, 2713551

फैक्स न० (0135) - 2713724

संख्या: 1920 /XXV-(1-7)/2008 देहरादून: दिनांक 03 नवम्बर, 2018.

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,  
जिला निर्वाचन कार्यालय  
उधमसिंह नगर।

विषय:- सूचना के अधिकार के अन्तर्गत चाही गयी सूचनाओं से संबंधित आवेदन पत्र का  
हस्तान्तरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक Shri Saurav Das, Tower-3, 301, NRI Residency Sector  
45, Noida- 201303 के सूचना के अधिकार संबंधी प्रार्थना पत्र दिनांक 26-10-2018 की प्रति  
इस आशय से संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि आवेदक द्वारा चाही गयी वांछित सूचना आपके  
विभाग/कार्यालय से संबंधित है, जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6(3) के  
अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है।

अतः कृपया नियमानुसार वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

*B.S. Anand*  
(बी०एस०रावत)

अनुभाग अधिकारी एवं  
लोक सूचना अधिकारी

पू०संख्या 1920/XXV-12(1-7)/2008, तददिनांक।

प्रतिलिपि Shri Saurav Das, Tower-3, 301, NRI Residency Sector 45, Noida-  
201303 को सूचनार्थ प्रेषित।

*B.S. Anand*  
(बी०एस०रावत)

अनुभाग अधिकारी एवं  
लोक सूचना अधिकारी

गुप्त  
01/11/18

**APPLICATION UNDER THE RTI ACT 2005**

From,

26-10-2018

10-10-2018

Saurav Das,

Tower-3, 301, NRI Residency,

Sector 45, Noida- 201303

Phone no: 9643669732

To,

Public Information Officer,

Office of the Chief Electoral Officer,

Govt of Uttarakhand,

4, Subhash Road, North Block, Secretariat

Dehradun (Uttarakhand)-248001

Respected PIO,

Under the provisions of the RTI Act 2005 and keeping in mind section 6(3) of the RTI Act, kindly furnish the following-

1. A certified copy of the letter written by "जिला निर्वाचन अधिकारी, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड" and sent to "प्रमुख सचिव एवं मुख्या निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखंड शारान देहरादून". Letter number is-- 1078/29- निर्वा नामा dated 26 August 2014.



Kindly provide only a certified copy.

I am to remind you that the stipulated amount of time for the reply is 30 days from the date of receipt. Any violation of the rules under the Act shall invite imposition of fines and recommendations of disciplinary actions against the PIO under section 20(1) and section 20(2) of the RTI Act.

Thank you



Saurav Das